संख्या-03/2018/3237ई-2/तेरह-2018-69/2010

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी,2018

विषय:-मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर की कुल अधिष्ठापित क्षमता 1024.60 लाख ब0ली0 के अन्तर्गत आसवनी की पेय क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-81/दो-प्रा0डी0-10/रामपुर, दिनांक 30 नवम्बर,2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30 नवम्बर,2017 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं उस पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 01-01-2018 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स रेडिको खेतान लि0, जनपद रामपुर को उनकी अधिष्ठापित क्षमता 1024.60 लाख ब0ली0 के अन्तर्गत आसवनी की वार्षिक पेय मदिरा उत्पादन क्षमता 661.60 लाख लीटर से बढ़ाकर 750.00 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा क्षमता वृद्धि से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण सहित अन्य नियमों/अधिनियमों व विधिव्यवस्थाओं के अन्तर्गत समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के साथ-साथ समस्त सुसंगत अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in